भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5327
दिनांक 05.04.2022/ 15 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

शरणार्थियों हेतु आश्रय स्थल

†5327. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शरण लेने वाले शरणार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है, जहां से ये शरणार्थी आए हैं और वहां की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त शरणार्थियों में से किन्हीं को आश्रय शिविर, भोजन, शिक्षा और नागरिकता आवेदन जैसी कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त किसी भी शरणार्थी को नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सभी विदेशी नागरिक (शरणार्थी होने का दावा करने वालों सहित) विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और नागरिकता अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले नागरिकों को अवैध अप्रवासी माना जाता है। चूंकि शरणार्थी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए भारत में रहने वाले ऐसे विदेशी नागरिकों की संख्या के बारे में सटीक डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) राहत सहायता में सामान्यतया मासिक नकद सहायता, रियायती राशन, मुफ्त वस्त्र सामग्री, बर्तन, श्मशान और श्राद्ध अनुदान और शिविरों में बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत योग्य विदेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है।

*****